न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 299ए / 2021

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. रहीम खां वल्द हाजी खां, मुमटी बद्व हाजी खां, अकील खां वल्द कालू खां कौम मुसलमान

2. बरकत खां पुत्र कोजे खां, सकी पत्नी भंवरे खां, मूसे खां पुत्र कोजे खां, गफूर खां लालू खां आम्ब खां पि0 मादी खां कौम मुसलमान सा. [illegible]

3. भंवरे खां, मोहम्मद खां, अकबर खां पि0 कोजे खां कौम मुसलमान [illegible]

4. सुभान खां पुत्र छोगा कौम सिन्धी सा. [illegible]

5. रायधन गनी खां साबु खां पि0 कादर खां बिस्मिला बेवा कादर खां, गाजी खां वल्द कामू खां कौम सिन्धी मुसलमान सा. [illegible] तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

6. रायधन खां मिसरी खां बबू खां पन्ने खां पि0 [illegible] खां मु[illegible] बेवा फता हयात खां पुत्र रहमान खां कौम सिन्धी सा. [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा
2. श्री थानसिंह राजपुरोहित, वकील विप्रार्थी संख्या –2
3.श्री वेलाराम वकील विप्रार्थी संख्या – 6

आदेश **दिनांक :– 17.5.2022**

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सड़क / डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते / सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए गये हैं। ग्राम **[illegible]** में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो [illegible] नहीं, **मुकनपुरा स्कूल से जेतावाड़ा रोड** तक ग्रेवल से जोड़ने वाला वैकल्पिक रास्ता [illegible] एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो [illegible] ग्राम **[illegible]** के खसरा न 141, 148, 149, 266 / [illegible] चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट** [illegible] अनुसार ग्राम आबादी **[illegible] से मुकनपुरा स्कूल से जेतावाड़ा रोड** तक ग्रेवल सड़क रास्ता राजस्व रेकर्ड व नक्शा में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। बिन्दु संख्या – 2 के समस्त विप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री थानसिंह एवं बिन्दु संख्या – 6 के विप्रार्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

मिसरी खां जरिये वकील श्री चेलाराम व बच्चू खां अजखुद उपस्थित हुवे।शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे । बिन्दु संख्या –6 के उपस्थित विप्रार्थी बच्चू खां, मिसरी खां व रायधन खां ने जबाब प्रस्तुत कर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर आपत्ति व्यक्त करते हुए निवेदन किया की रास्ता जो खसरा संख्या 152 के उत्तरी दक्षिणी होने से प्रस्तावित किया है उससे उनके खेत के दो टुकडे हो जाएंगे तथा उन्हे काश्त करने में असुविधा होगी । उक्त रास्ते पर चलने वाली मवेशी उनके खेत में नुकसान करेगी । अतः रास्ता खसरा संख्या 113 के पूर्वी सेढे और फिर आगे उनके खेत के उत्तरी सेढे पर निकाला जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । बिन्दु संख्या –2 के वकील ने निवेदन किया कि खसरा संख्या 148 में रास्ते की चौडाई 12 फीट रखी जाती है, तो वे इससे सहमत हैं।

उपस्थित विप्रार्थीगण के वकीलों द्वारा व्यक्त की गयी आपत्तियों के मद्देनजर तहसीलदार पचपदरा से पुनः नक्शा तलब किया गया ।

हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया ।चूंकी खसरा संख्या 141, 148, व 149 के खातेदार नवीन नक्शें में प्रस्तावित स्थान पर रास्ता स्वीकृत करने किन्तु उसकी चौडाई 12 फीट निर्धारित किये जाने की स्थिति में सहमत हैं। ऐसी सूरत में नवीन प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम माडपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 113, 142, 266/151, 149, 148 व 141 में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता निकालने के आदेश दिये जाते है । खसरा संख्या 141, 148 व 149 में रास्ते की चौडाई 12 फीट रहेगी। तहसीलदार पचपदरा को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में तरमीम सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है । तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

भू–अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 17.05.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा